

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4321  
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

4321. श्री राजेश रंजन:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में निर्दिष्ट जनसंख्या मानदंड के अनुरूप उप-स्वास्थ्य केंद्रों एसएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्दिष्ट जनसंख्या मानदंड के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत एससी, पीएचसी और सीएचसी की स्वीकृत/वास्तविक संख्या कितनी है;

(घ) देश में डॉक्टर, लैब तकनीशियन और फार्मासिस्ट के बिना संचालित पीएचसी और सीएचसी की संख्या कितनी है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित संख्या में एससी, पीएचसी और सीएचसी उपलब्ध कराने और उनके कामकाज में सुधार और उनमें अपेक्षित डॉक्टर, लैब तकनीशियन और फार्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री  
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी चुनौतियों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, से निपटने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी, ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाया जा सके, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों तक पहुँच रखने वाले सभी लोगों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा सके। एनआरएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत एक उप-मिशन है, जबकि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) एक अन्य उप-मिशन है। एनएचएम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(i) शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।

- (ii) स्थानीय स्तर पर स्थानिक रोगों सहित संचारी एवं गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण।
- (iii) एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच।
- (iv) जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक समानता एवं जनसांख्यिकीय संतुलन।
- (v) स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनर्जीवित करना और आयुष को मुख्यधारा में लाना।
- (vi) भोजन और पोषण, स्वच्छता और सफाई के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सार्वभौमिक टीकाकरण से संबंधित सेवाओं पर जोर देते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच।
- (vii) स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना।

एनएचएम के तहत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

लक्ष्य (वर्ष 2021-26 के एनएचएम विस्तार के अनुसार)	स्थिति
एमएमआर को घटाकर 87 प्रति 1 लाख करना	प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 97 (एसआरएस 2018-20)
आईएमआर को घटाकर 22 प्रति हज़ार करना	28 प्रति हज़ार (एसआरएस 2020)
राष्ट्रीय स्तर पर टीएफ़आर को 2.0 तक बनाए रखना	2.0 (एनएफ़एचएस 5)
1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (तत्कालीन एबी-एचडब्ल्यूसी) के प्रचालन का लक्ष्य हासिल करना	1,75,338 (दिनांक 30.11.2024 के अनुसार)

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के साथ-साथ स्वास्थ्य जनशक्ति की स्थिति का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

[https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastucture%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23\\_RE%20%281%29.pdf](https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastucture%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf)

यह मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है। हालाँकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में मानव संसाधनों की नियुक्ति/उपलब्धता की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

\*\*\*\*\*